मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय-462004

क्रमांक 1036/2025/सात-4 भोपाल, दिनांक 14/08/2025

समस्त संभागायुक्त्
मध्यप्रदेश।

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का स्थाई निर्देश परिपत्र दिनांक 22 नवम्बर 2006।

विषयांतर्गत मंत्रि-परिषद निर्णय दिनांक 03/06/2025 अनुसार राजस्व अधिकारियों के मध्य शासन की योजनाओं के अनुरूप सुचारू रूप से कार्य संचालन किये जाने हेतु न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्य करने का विभाजन किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अधिकारियों द्वारा विरोध जताते हुए अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है। उनका यह कृत्य शासन की मंशा एवं नीतियों के विरूद्ध है, जो अनुशासहीनता की श्रेणी में आता है।

ऐसे कृत्य के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थाई निर्देश दिनांक 22 नवम्बर 2006 के अनुसार शासकीय सेवकों के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते है। इस प्रकार की अनुशासहीनता करने वालों पर गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

अत: अपने संभाग अंतर्गत जिलों में पदस्थ ऐसे राजस्व अधिकारी जो अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हुए है उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संजय कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक 1037/2025/सात-4 भोपाल, दिनांक 14/08/2025

प्रतिलिपि :-

समस्त जिला कलेक्टर्स म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग